भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

CASHIER
25 FEB 2021
Treasury Officer
HAPUR

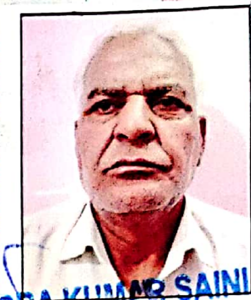

RAJENDRA KUMAR SAINI
ADVOCATE
21, Tehsil Compound, Hapur

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 992810

न्यास पत्र

(चौधरी चन्दन सिंह स्मृति न्यास)

अध्यक्ष / संस्थापक
रणपाल सिंह
स्थाई लेखा संख्या– AUKPS4426J

यह न्यास (ट्रस्ट) का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 01–03–2021 को श्री रणपाल सिंह आयु करीब 61 वर्ष पुत्र श्री किशन चन्द सिंह निवासी ग्राम हसनपुर पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड 245101 उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया है।

रणपाल

Scanned with OKEN Scanner

क्रम स० 27 धनराशि 500/- दिनांक 01/03/2021
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्टडीड
...ता का नाम श्री रणपाल सिंह पुत्र किशन चन्द सिंह
हसनपुर पो० हापुड़
(स्टाम्प)
कचहरी हापुड़
...सं० 75
21

आवेदन सं०: 202100740004281

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 19 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री रणपाल सिंह ,
पुत्र श्री किशन चन्द सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: ग्राम हसनपुर पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड़।

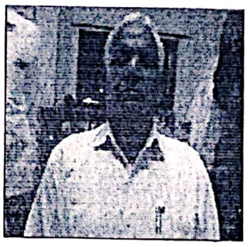

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/03/2021 एवं 02:52:19 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश प्रताप सिंह
उप निबंधक :हापुड़ 2
हापुड़
01/03/2021

हापुड़ हापुड़ लिपिक ।
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रू. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

CASHIER
25 FEB 2021
Treasury Officer
HAPUR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 992811

समाज के वर्तमान परिद्रश्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं रणपाल सिंह सर्वसाधारण के हितार्थ विशेष रूप से वंचित बच्चो एवं महिलाओ हेतु उनके पालन पोषण एवं व्यवस्थित जीवन के लिए एक न्यास स्थापना करता हूँ।

इस निमित्त मे अपने पास से रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) मात्र देकर न्यास का निर्माण करता हूँ।

रणपाल

क्रम स0 28 ...धनराशि 500 दिनांक 1/3/2021
आवेदन सं०: 2021007[illegible]281
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....................
क्रेता का नाम श्री.....................................
निवासी...

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 19 वर्ष: 2021

(सरगम)
स्टाम्प विक्रेता तह0 कं0पा0 हापुड़
लाइसेंस सं0 76
लाइसेंस अवधि 31-03-2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री रणपाल सिंह, पुत्र श्री किशन चन्द सिंह

निवासी: ग्राम हसनपुर पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड़।

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री निरंजन सिंह

निवासी: मकान नंबर 147 ग्राम हरनाथपुर कोटा परगना व तहसील व जिला हापुड़।

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, पुत्र श्री ईश्वर चन्द

निवासी: मौहल्ला अयोध्यापुरी हापुड़ तहसील व जिला हापुड़।

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राकेश प्रताप सिंह
उप निबंधक : हापुड़ 2
हापुड

हापुड़ हापुड़ लिपिक ।
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

इस पुनित कार्य में मैं अपने सहित निम्न बन्धुओ को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँः–

क्र. स.	नाम	पिता / पति का नाम	पता
1.	रणपाल सिंह	श्री किशन चन्द सिंह	ग्राम हसनपुर पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड। (मो0 9927071896)
2.	जगपाल सिंह	श्री किशन चन्द सिंह	मकान नंबर 867, श्योदत–2, गुलावठी रुरल नत्थूगढी तहसील व जिला बुलन्दशहर। (मो0 9412660095)
3.	ऋषिपाल सिंह	श्री किशन चन्द सिंह	मकान नंबर 867, श्योदत , गुलावठी रुरल नत्थुगढी, तहसील व जिला बुलन्दशहर। (मो0 8178810063)
4.	सुनील कुमार	श्री किशन चन्द सिंह	मौहल्ला अर्जुन नगर दिल्ली रोड हापुड परगना व तहसील व जिला हापुड। (मो0 9837949122)
5.	राजेन्द्र सिंह	श्री मल्ले सिंह	ग्राम काठीखेडा परगना व तहसील व जिला हापुड। (मो0 9917663925)
6.	रामपाल सिंह	श्री कल्याण सिंह	ग्राम अहमदनगर जिला बुलन्दशहर। (मो0 9557789314)
7.	तेजेन्द्र पाल सिंह	स्व0 श्री जयपाल सिंह	ग्राम लुखराडा पोस्ट शेखपुर तहसील व जिला हापुड। (मो0 9927077021)
8.	विक्रान्त	श्री रणपाल सिंह	ग्राम हसनपुर परगना व तहसील व जिला हापुड। (मो0 9997842841)
9.	विकास	स्व0 श्री अरविन्द कुमार	वार्ड नंबर 16, आदर्श नगर गुलावठी तहसील व जिला बुलन्दशहर। (मो0 9756273432)
10.	दिपांशु	श्री पंकज सिंह	23, नासिरपुर स्कीम, नेहरु नगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद। (मो0 9800526052)
11.	शुभम चौधरी	श्री ऋषिपाल सिंह	867, मौहल्ला श्योदत–2, गुलावठी तहसील व जिला बुलन्दशहर। (मो0 7500054008)

Scanned with OKEN Scanner

यही ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम प्रन्यासी मण्डल के सदस्य माने जायेगें। अतः इस न्यास पत्र के माध्यम से एक न्यास (ट्रस्ट) की घोषणा करता हूँ इस न्यास की शर्ते तथा नियम निम्न प्रकार रहेगें।

1. इस न्यास का नाम चौधरी चंदन सिंह स्मृति न्यास रहेगा।
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम हसनपुर (कांकर) पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड 245101 उ0प्र0 रहेगा एवं न्यास का उप कार्यालय सम्पूर्ण भारतवर्ष में कही भी हो सकता है।
3. उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति निमित्त तथा ट्रस्ट के धर्माथ उददेश्यो जो नीचे उदधृत किये जा रहे है कि पूर्ति हेतु एवं न्यास का कार्य चलाने निमित्त न्यास के निर्माण कर्ता ने 10,000/– (दस हजार रुपये) मात्र जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी, इस सम्पत्ति को किसी दशा मे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
4. **ट्रस्ट का कोष** : उपरोक्त रूपये 10,000/– (दस हजार रुपये) के साथ अन्य सहयोगी राशियां दान भेंट, ब्याज, किराया अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय–समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।
5. **ट्रस्ट का उददेश्य** : प्रन्यासीगण भारत में सर्वसाधारण के धर्माथ हितो के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय उपयोग करेंगें। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यो में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पन्थ, रंग आदि के कारण भेद नही किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितो के लिए कार्य किये जायेंगे न्यास के निम्न उददेश्य हैः
    1. समाज के आश्रय वंचित बच्चो विशेष रूप से नवजात शिशुओ का पालन पोषण करना एवं उनको स्वावलम्बी बनने हेतु प्रेरित करना।
    2. समाज द्वारा तिरस्कृत एवं निराश्रित बच्चो को आश्रय देना एवं उनको स्वावलम्बी बनने हेतु प्ररित करना।
    3. नारी सशक्तिकरण– समाज में नारी सशक्तिकरण हेतु जागरूकता लाना जिसके लिए नारी समूह बनाना एवं उनकी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।

Scanned with OKEN Scanner

4. समाज में शिक्षा संस्कार एवं स्वास्थ्य के विकास के लिए कार्य करना विशेष रूप से प्रावैधिक एवं व्यवसायिक पाठयक्रमो हेतु। इस निमित्त विद्यालय, कोचिंग कक्षायें प्रावैधिक (टैक्नीकल) शिक्षा केन्द्र छात्रावास, शिक्षा पर गोष्ठीयां, अध्यापक शिक्षण वर्ग आदि चलाना अथवा इनको सुचारू रूप से चलाने मे अन्य सम उददेश्य वाली संस्थाओ का सहयोग करना, उनकी आर्थिक सहायता करना, निर्धन छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान करना। कृषि तथा शिक्षा से सम्बंधित कार्य करना।
5. संस्था के उददेश्यो के पूर्ति में सहायक व्यक्तियो, संस्थाओ को आर्थिक, नैतिक सहयोग देना तथा उनसे प्राप्त करना। वह सभी कार्य करना जो न्यासीमंडल की दृष्टि मे न्यास के उददेश्यो की पूर्ति में सहायक हो।
6. **संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालनः**
   1. संस्था का प्रन्यासी मण्डल संस्था के कोष एवं संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रन्यासीमण्डल अपने में से छः सदस्यीए कार्य समिति का गठन करेंगा।
   2. कार्यसमिति का स्वरूप निम्न रहेगा एवं इसका प्रथम कार्यकाल निम्न शर्तो सहित चार (4) वर्ष रहेगा तदोपरांत इसका कार्यकाल (2) वर्ष रहेगाः–

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. कोषाध्यक्ष
4. तीन सदस्य

कार्यसमिति न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानो के संचालन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होंगी एवं कार्यसमिति के दायित्व आधिकार निम्न होगें–

(3)1. **अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकारः**

1. न्यास को सुचारू रूप से चलाना।
2. आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक बुलाने के लिए उपाध्यक्ष को निर्देशित करना।
3. कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना।

Scanned with OKEN Scanner

(3)2. **उपाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकारः**

1. न्यास को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना।
2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।
3. अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समय–समय पर कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक बुलाना।
4. बैठक की कार्यवाही की लिपिबद्ध करना।
5. बैठक में रखे प्रस्तावो एवं सुझावो हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।
6. अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे न्यास के द्वारा या न्यास के विरूद्व चलने वाले न्यायिक कार्यो की पैरवी करना अथवा इस हेतु किसी को अधिकृत करना।

(3)3. **कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः**

1. वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि वह न्यास के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखे। हिसाब–किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण आलेखो तथा कागजो को वह उचित ढंग से रखेगा तथा प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार से हिसाब किताब का अंकेक्षण कराकर प्रन्यासी मंडल के समक्ष रखेगा।
2. बैंक से न्यास कार्य हेतु संपर्क रखना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
3. समय– समय पर कार्यसमिति अथवा प्रन्यासीमंडल को वित्त से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
4. अन्य सभी कार्य जो भी अध्यक्ष द्वारा बताये जाये पूर्ण करना।

(3)4. **सदस्यो के अधिकार एवं कर्तव्यः**

1. समय–समय पर आहुत कार्यसमिति की बैठको में उपस्थित रहना।
2. न्यास कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सुझाव रखना।
3. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यो को पूर्ण करना आदि।
4. कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य मे रिक्त स्थानो की पूर्ति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रन्यासीमण्डल मे से किसी एक सदस्य को नामित करके की जायेगी।
5. किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष/संस्थापक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे कार्यसमिति द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।

20/5/14

Scanned with OKEN Scanner

(7) संस्था के उपरोक्त कार्यो को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यास के समुचित प्रबन्धो के लिए प्रन्यासी मंण्डल को निम्न अधिकार होगेः

1. संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उददेश्यो अथवा किसी एक विशिष्ट उददेश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा संस्थान के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार अथवा यथासंशोधन आयकर अधिनियम 1951 धारा 11 की उपधारा 5 मे स्पष्ट किये गये है के अनुसार किया जायेगा।
2. संस्थान के लिए दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप मे प्रयोग करना अथवा संस्थान के उददेश्यो की पूर्ति हेतु उपयोग करना।
3. संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल–अचल, दर्शनीय, सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारो उनसे प्राप्त लाभो तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु न्यास की किसी सम्पत्ति को बेचना आदि।
4. संस्थान के कोष को प्रन्यासी मंडल के निर्देशानुसार समय–समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।
5. किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को प्रन्यासी मण्डल के बहुमत से ही हस्तान्तरित करना।
6. संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियो से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रखना आदि।

8. कुछ अन्य नियमः

1. न्यास का धन किसी राट्रीयकृत/सहकारी/शेडयूल्ड बैंक मे रखा जायेगा खाते के संचालन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को संयुक्त रुप से रहेगा। इनमे से किन्ही दो के हस्ताक्षरो से धन निकाला जा सकेगा।
2. संस्था की सम्पत्ति का क्रय विक्रय अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र पर संस्था की ओर से अध्यक्ष अथवा एक प्रन्यासी जिसको कार्यकारिणी समिति मनोनीत करेगी, के हस्ताक्षर होगे।

Scanned with OKEN Scanner

3. संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नही माना जायेगा जब तक यह सिद्व नही होगा कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर संस्था को हानि पहुचायी है।
4. संस्था के नियमो आदि की परिभाषा के सन्दर्भ मे उत्पन्न विवाद मे न्यास के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का सामूहिक निर्णय सभी को मान्य और अन्तिम होगा।
5. न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उददेश्यो की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप मे अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीकरण को ना तो प्रदान और ना ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो वाले लोगो को भी यह नही हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियो तथा अन्य व्यक्तियो एवं प्रन्यासीगणो को सेवा कार्य के आधार पर समय–समय पर वेतन पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा इस वेतन पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। प्रन्यासीगणो द्वारा न्यास के उददेश्यो की पूर्ति हेतु दिये जाने वाले ऋण पर न्यास द्वारा ब्याज दिया जा सकेगा।
6. न्यास के संविधान मे किसी भी प्रकार का संशोधन प्रन्यासी मंडल के 2/3 बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा।
7. न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा।
8. न्यास में प्रन्यासी मण्डल के सदस्यो की संख्या 21 से अधिक नही होगी।

सदस्यता समाप्ति : निम्न कारणो से किसी भी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

1. त्याग–पत्र देने उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर।
1. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।
2. पागल घोषित होने पर।
3. न्यास के हितो के विपरीत कार्य करने पर प्रन्यासी मंडल द्वारा 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित होने पर।

6. **न्यास भंग होने पर:** प्रन्यासी मंडल द्वारा 3/4 प्रन्यासीगणो के निर्णय से न्यास को भंग किया जा सकेगा। न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियो का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल–अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उददेश्य वाली संस्थाओ को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी प्रन्यासीमंडल द्वारा 3/4 बहुमत से किया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यो मे नही बांटा जा सकेगा।
7. **बैठक :** (1) प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होगी।

   (2) कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक अवश्क होगी।

विशेष: ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द है।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मै रणपाल सिंह पुत्र श्री किशन चन्द सिंह निवासी ग्राम हसनपुर पोस्ट महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड, इस न्यास की घोषणा करता हूँ।

साक्षी:– विनोद कुमार पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी मकान नंबर 147, ग्राम हरनाथपुर कोटा तहसील व जिला हापुड। (मो0 8979141450)

साक्षी:– राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री ईश्वर चन्द निवासी मौहल्ला अयोध्यापुरी हापुड तहसील व जिला हापुड। (मो0 9897274522)

स्थान:– हापुड

दिनांक:– 01–03–2021

RAJENDRA KUMAR SAINI
ADVOCATE
Reg. No. 6687/06
21, Tehsil Compound, Hapur

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202100740004281

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 73 के पृष्ठ 65 से 90 तक क्रमांक 19 पर दिनॉक 01/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश प्रताप सिंह
उप निबंधक : हापुड़ 2
हापुड
01/03/2021

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner